पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2006 ई० (बैशाख 09, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–17

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	173–175	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	55–59	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	7–9	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग-2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

17 अप्रैल, 2006 ई०

संख्या 416 / XXVIII-2-2006-76 / 2006-राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पी०एम०एच०एस० संवर्ग उत्तरांचल के डा० आर०सी० आर्य, निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नियमित चयनोपरान्त महानिदेशक के पद पर वेतनमान रु० 22,400-24,500 में अस्थाई रूप से प्रोन्नति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

डा० आर्य की छह माह की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

धर्मस्व कार्य विभाग

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2006 ई०

संख्या 457 / VI / 2006-1(21) 2005-कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 648 / THIRTY-1-2006, दिनांक 06 फरवरी, 2006 के क्रम में श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1939) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 14 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात् अग्रिम आदेशों तक श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का आन्तरिम मुख्य कार्याधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर जिलाधिकारी, चमोली को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं और वे मुख्य कार्याधिकारी की समस्त शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

आज्ञा से,

एस० के० मुत्तू,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग-2

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2006 ई०

संख्या 283 / XVII(1)-2 / 2006-08(07) / 2006-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या 5305 / स०क० / विशेष / बाल गृह / 2005-06, दिनांक 02 मार्च, 2006 के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार, श्री राज्यपाल महोदय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अल्मोड़ा को अस्थाई रूप से विशेष गृह तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, पौड़ी को 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किशोरों हेतु अस्थाई रूप से बाल गृह नामित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह व्यवस्था राजकीय विशेष गृह, हरिद्वार एवं राजकीय बाल गृह, हरिद्वार के निर्माणाधीन एवं संचालित होने तक की अवधि तक कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत है। उपरोक्त निर्माणाधीन गृहों के संचालित होने के उपरान्त उक्तानुसार नामित गृहों को उनके मूलभूत स्वरूप में वापस ले आया जाएगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 हिन्दी गजट/179—भाग 1—2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2006 ई0 (बैशाख 09, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

NOTIFICATION

April 10, 2006

No. 38/UHC/Admin. A/2006--In exercise of the powers conferred by virtue of Article 229 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendment in the Rule 25 of Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 as are applicable in the State of Uttaranchal:--

AMENDMENT

1. In existing Rule 25 of Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, after the words "Class IV" and before the words "and 21 years" the words "and Lower Division Assistant Post" are deleted.

The amendment will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

17 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 39 / XIV / 37 / प्रशा0 अनु0–अ / 2003–श्री एन0एस0 धानिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / चतुर्थ त्वरित न्यायालय, देहरादून को दिनांक 21–03–2006 से 01–04–2006 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश के

पूर्व दिनांक 19–03–2006 एवं 20–03–2006 रविवार एवं स्थानीय अवकाश और अवकाश के पश्चात् दिनांक 02–04–2006 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)

विज्ञप्ति

12 अप्रैल, 2006 ई०

पत्रांक डीटीई० / 0711 / सेवा० / अधि० क्षेत्र / 06 / 9336–361–सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 नियमावली, 1960 के नियम 7 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियम व धारा के अन्तर्गत पूर्व में प्रसारित समस्त विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए मैं, डॉ० पी०एस० गुसांई, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अधिक्षेत्र के सेवायोजकों के सम्बन्ध में सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 (संख्या 31, 1959) की धारा 6 में अभिदिष्ट अधिकारों के प्रयोग करने का प्राधिकार एतद्द्वारा प्रदान करता हूँ:–

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	अधिक्षेत्र
1	2	3
1.	संयुक्त निदेशक, सेवायोजन, उत्तरांचल	सम्पूर्ण उत्तरांचल
2.	सहायक निदेशक (सेवायोजन) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	– तदैव –
3.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून	जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार क्षेत्र
4.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लैन्सडौन	जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग क्षेत्र
5.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र
6.	जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल	सम्पूर्ण जनपद नैनीताल
7.	जिला सेवायोजन अधिकारी, पिथौरागढ़	सम्पूर्ण जनपद पिथौरागढ़
8.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चम्पावत	सम्पूर्ण जनपद चम्पावत
9.	जिला सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सम्पूर्ण जनपद ऊधमसिंह नगर
10.	जिला सेवायोजन अधिकारी, बागेश्वर	सम्पूर्ण जनपद बागेश्वर
11.	जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी	सम्पूर्ण जनपद टिहरी
12.	जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी	सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी
13.	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार
14.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चमोली	सम्पूर्ण जनपद चमोली
15.	जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण जनपद रुद्रप्रयाग

1	2	3
16.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य
17.	नगर सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी	तहसील क्षेत्र पौड़ी
18.	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	तहसील क्षेत्र हल्द्वानी
19.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रानीखेत	तहसील क्षेत्र रानीखेत
20.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति), कालसी	सम्पूर्ण चकराता तहसील क्षेत्र
21.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति), कालसी	सम्पूर्ण जनपद देहरादून क्षेत्र

डॉ० पी०एस० गुसांई,
निदेशक।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

चार्ज हस्तान्तरण का प्रमाण–पत्र

30 मार्च, 2006 ई०

पत्रांक 2556/13–1–1–मैं, प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपर यमुना वन प्रभाग का कार्यभार आज दिनांक 30–03–2006 के पूर्वान्ह में प्राप्त करते समय रोकडबही के अनुसार कोई नकद धनराशि प्राप्त नहीं की है, और रोकड शून्य पाया है। मैंने समस्त अभिलेखों की पूर्णतया जांच कर ली है, तथा समस्त लेखों के देयकों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है। स्थिति अभिलेखों के अनुसार सही पाई गई।

माह फरवरी, 2006 का मासिक लेखा संकलित कर महालेखाकार उत्तरांचल को भेजा जा चुका है, माह मार्च, 2006 का मासिक लेखा भेजा जाना शेष है और सभी प्रकार के उत्तरदायित्व से परिचित हो गया हूँ। मैंने सभी प्रकार के स्टाफ तथा अन्य जैसे किताबें या कार्यालय रिकार्ड या कार्यालय फर्नीचर जो प्रधान कार्यालय में हैं, सभी को भली–भाँति देख लिया है, तथा रजिस्टर अपटूडेट पोस्ट किये हुए हैं।

चैक बुकें :–

प्रभाग के अन्तर्गत निम्न चैक बुकें प्रयोग में लाई जा रही हैं:–

1–साख सीमा की चैक बुक संख्या	–	384/001 से 384/046 तक 46 चैक प्रयुक्त
2–साख सीमा की चैक बुक संख्या	–	384/047 से 384/100 तक 54 चैक अप्रयुक्त
3–डी०सी०एल० चैक बुक भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून चैक बुक संख्या	–	0019/001 से 0019/014 तक 14 चैक प्रयुक्त
	–	0019/015 से 0019/100 तक 86 चैक अप्रयुक्त
4–आई०जी०वी०पी० योजना भारतीय स्टेट बैंक, बड़कोट	–	चैक संख्या 452521 से 452525 तक 5 चैक प्रयुक्त
	–	चैक संख्या 452526 से 452540 तक 15 चैक अप्रयुक्त
5–एफ०डी०ए० भारतीय स्टेट बैंक, बड़कोट	–	चैक संख्या 000901 से 000902 तक 2 चैक प्रयुक्त
	–	चैक संख्या 000903 से 000920 तक 18 चैक अप्रयुक्त

6–पी०एल०ए०

– चैक संख्या 591/1 से 4 तक 4 चैक प्रयुक्त

– चैक संख्या 591/5 से 50 तक 46 चैक अप्रयुक्त

चार्ज लिया
ह० अपठनीय
(डा० एस०के० गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

चार्ज लिया
ह० अपठनीय
(एस०के० पटनायक)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

कार्यभार

30 मार्च, 2006 ई०

पत्रांक 2559/13–1–1–

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद/सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्र नगर, उत्तरांचल।
6. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरांचल।
7. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
11. निजी सचिव, मा० वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के सूचनार्थ।
12. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तरांचल, देहरादून।
13. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
14. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, यमुना वृत्त।
15. डी०डी०ओ०/उप वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
16. सब पोस्ट मास्टर, बड़कोट।

महोदय,

आपको सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी ने अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट का कार्यभार दिनांक 30–03–2006 के पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है।

अतः समस्त गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्र–व्यवहार तदनुसार अधोहस्ताक्षरी के नाम से सम्बोधित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह० अपठनीय
(एस०के० पटनायक)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

हस्तान्तरण

30 मार्च, 2006 ई०

पत्रांक 2560/13–1–1–

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद/सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्र नगर, उत्तरांचल।
6. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरांचल।
7. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
11. निजी सचिव, मा० वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के सूचनार्थ।
12. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तरांचल, देहरादून।
13. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
14. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, यमुना वृत्त।
15. डी०डी०ओ०/उप वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
16. सब पोस्ट मास्टर, बड़कोट।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि मैंने प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट का कार्यभार उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1, संख्या 1049/दस–1–2006–4(4)/2001, देहरादून, दिनांक 21–03–2006 के अनुसार आज दिनांक 30–03–2006 के पूर्वान्ह में श्री एस०के० पटनायक, उप वन संरक्षक को हस्तान्तरित कर दिया है। अतः इस वन प्रभाग से सम्बन्धित गोपनीय/अर्द्धशासकीय पत्र अब उन्हीं के नाम से सम्बोधित करने की कृपा करें।

भवदीय,

ह० अपठनीय

(डा० एस०के० गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 हिन्दी गजट/179–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2006 ई० (वैशाख 09, 1928 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर

उपनियम

25 मार्च, 2006 ई०

पत्र संख्या 9(9)/विज्ञापन होर्डिंग बोर्ड शुल्क नियमावली/2005–2006 दि० 15-06-05 के द्वारा नगर पालिका परिषद् किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर की सीमान्तर्गत पोस्टरों/विज्ञापनों आदि के प्रदर्शन पर नियंत्रण करने हेतु निम्न उपनियम पालिका बोर्ड की बैठक दि० 10-06-2003 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 के खण्ड (ख) के अनुसार यू०पी० म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट 1916 की धारा 298 (2) (ज)(ब) सूची (1) के अधीन बनाये गये हैं जिन पर इसका पूर्णतया प्रभाव पड़ने की सम्भावना है से विधिवत् आपत्ति आमंत्रित कर प्राप्त आपत्तियों का बोर्ड की बैठक दि० 12-01-2006 के पारित प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार निस्तारण करते हुए उक्त नियमावली को अन्तिम रूप देकर प्रस्तावित कर स्वीकृत की है तथा उक्त एक्ट की धारा 300(1) प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है जो राजकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी। वर्तमान में उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 को जिस रूप में स्वीकार किया गया तदअनुरूप माना जाये।

उपनियम

परिभाषित— इन उपनियमों में जब तक विषय अथवा प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न हो

(अ) एक्ट से तात्पर्य उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज एक्ट 1916 से है,

(ब) बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका, किच्छा से है।

(स) नगर पालिका परिषद् किच्छा की सीमा से तात्पर्य नगर पालिका किच्छा की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी सम्मिलित मानी जायेंगी।

(द) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् किच्छा के अधिशासी अधिकारी से है

(क) विज्ञापन से तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक, सूचना पोस्टर चिपकाने वाले या साइन बोर्ड पर किसी अन्य ऐसी वस्तु से जो कि विज्ञापन के लिये प्रयुक्त की गयी हो, जिसमें स्टेन्सिल के छापे किये हुए या रंगीन तथा वे तस्वीरें और रेखाबिन्दु भी सम्मिलित हैं जो प्रचार हेतु बनाये गये है।

(ज) भवन से तात्पर्य घर, झोपड़ी, छप्पर या अन्य छत्तरदार निर्मित या चाहे वह किसी भी निमित्त बनायी गयी हो तथा उसके प्रत्येक भाग जिसमें बाहरी दीवार, घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें तम्बू या इस प्रकार का अस्थाई शरणगाह सम्मिलित नहीं है।

(1) व्यक्ति में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो विज्ञापन कार्य के लिए नियुक्त किये गये हों तथा फार्म कम्पनी का मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि, खातेदार या प्रबन्धक आदि जिसके लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

(2) अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक के अधीनस्थ में अभिलेख का रखरखाव करायेगा।

(3) कोई व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर जिसमें स्थान या भवन अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर उपनियम सं० 1 में किया है, प्रदर्शित करने या जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिना अधिशासी अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये, न तो लगायेगा और न ही लगाने का अधिकारी होगा।

(4) नगर पालिका परिषद्, किच्छा की सीमा के भीतर किसी स्थान प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र निश्चित स्थान के दो स्पष्ट मानचित्रों, प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री जो बनायी जाने वाली तस्वीर की दो प्रतियां विज्ञापन या आकार तथा जितने समय के लिए मांगी गई हो, उसके उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसके विषय, भाषा तथा स्थान की उपयुक्तता आदि को देखते हुए आदिष्टता, अश्लीलता, उत्तेजनात्मकता तथा नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के तथ्यों वास्तविकता की जांच करने के पश्चात् लिखित रूप से आज्ञा प्रदान करके अस्वीकृत आवेदनों पर स्वीकृति के कारण लिखित रूप में माने जायेंगे।

(5) इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क अग्रिम जमा करना होगा। विज्ञापन कोई मुख्य मार्ग से 10 मीटर दूरी पर होगा।

लागू दरें

	क्र०सं०	आकार (मीटर में)	वार्षिक	मासिक	दैनिक
दरें–	1.	10' × 8'	रु0 600/–	रु0 180/–	रु0 7/–
	2.	8' × 6'	रु0 400/–	रु0 90/–	रु0 5/–
	3.	6' × 4'	रु0 300/–	रु0 60/–	रु0 3/–
	4.	3' × 2'	रु0 150/–	रु0 40/–	रु0 2/–

(6) अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा स्वीकृत आज्ञा को आपात स्थिति में जनहित में रद्द कर दें, रोक दे, ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोदर भाग वापस किया जायेगा।

(7) नगर पालिका परिषद्, किच्छा के भीतर अधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उसके मूल्य, मौखिक खर्चे पर हटा दें, और इस प्रकार किया गया व्यय नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति की फर्म से वसूल किया जायेगा, जिसके लिए या जिनका विज्ञापन करने के लिए लगवाया गया था, यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर ना छुड़ाया गया तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को 7 दिन की सूचना देकर विज्ञापन को नीलाम कर सकेगा।

(8) उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय नहीं होगा:–

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी या पालिका द्वारा करवाये या लगवाये जायेंगे।

(ख) ऐसा साईन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विज्ञापन।

(9) पालिका उचित समझेगी तो उक्त शुल्क की वसूली के लिए सार्वजनिक ठेका नीलाम कर सकेगी।

दण्ड

यू०पी० म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299 की उपधारा–1 के द्वारा अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका, किच्छा यह निर्देश देती है कि इस नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करते पाये जाने पर दण्ड का भागी होगा, जो रु० 1000/– (रु० एक हजार) तक हो सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 25.00 अतिरिक्त दण्ड दिया जायेगा।

सुरेश अग्रवाल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, किच्छा।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 हिन्दी गजट/179–गाग 8–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

(ज) भवन से तात्पर्य घर, झोपड़ी, छप्पर या अन्य छतरदार निर्मित या चाहे वह किसी भी निमित्त बनायी गयी हो तथा उसके प्रत्येक भाग जिसमें बाहरी दीवार, घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें तम्बू या इस प्रकार का अस्थाई शरणगाह सम्मिलित नहीं है।

(1) व्यक्ति में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो विज्ञापन कार्य के लिए नियुक्त किये गये हों तथा फार्म कम्पनी का मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि, खातेदार या प्रबन्धक आदि जिसके लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

(2) अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक के अधीनस्थ में अभिलेख का रखरखाव करायेगा।

(3) कोई व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर जिसमें स्थान या भवन अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर उपनियम सं० 1 में किया है, प्रदर्शित करने या जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिना अधिशासी अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये, न तो लगायेगा और न ही लगाने का अधिकारी होगा।

(4) नगर पालिका परिषद्, किच्छा की सीमा के भीतर किसी स्थान प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र निश्चित स्थान के दो स्पष्ट मानचित्रों, प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री जो बनायी जाने वाली तस्वीर की हो प्रतियां विज्ञापन या आकार तथा जितने समय के लिए मांगी गई हो, उसके उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसके विषय, भाषा तथा स्थान की उपयुक्तता आदि को देखते हुए आदिष्टता, अश्लीलता, उत्तेजनात्मकता तथा नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के तथ्यों तात्विकता की जांच करने के पश्चात् लिखित रूप से आज्ञा प्रदान करके अस्वीकृत आवेदनों पर स्वीकृति के कारण लिखित रूप में माने जायेंगे।

(5) इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क अग्रिम जमा करना होगा। विज्ञापन कोई मुख्य मार्ग से 10 मीटर दूरी पर होगा।

लागू दरें

	क्र०सं०	आकार (मीटर में)	वार्षिक	मासिक	दैनिक
दरें–	1.	10′ × 8′	रु० 600/–	रु० 180/–	रु० 7/–
	2.	8′ × 8′	रु० 400/–	रु० 90/–	रु० 5/–
	3.	8′ × 4′	रु० 300/–	रु० 60/–	रु० 3/–
	4.	3′ × 2′	रु० 150/–	रु० 40/–	रु० 2/–

(6) अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा स्वीकृत आज्ञा को आपात स्थिति में जनहित में रद्द कर दें, रोक दे, ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोदय भाग वापस किया जायेगा।

(7) नगर पालिका परिषद्, किच्छा के भीतर अधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उसके मूल्य, मौखिक खर्चे पर हटा दें, और इस प्रकार किया गया व्यय नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति की फर्म से वसूल किया जायेगा, जिसके लिए या जिनका विज्ञापन करने के लिए लगवाया गया था, यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर ना छुड़ाया गया तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को 7 दिन की सूचना देकर विज्ञापन को नीलाम कर सकेगा।

(8) उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय नहीं होगा–

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी या पालिका द्वारा करवाये या लगवाये जायेंगे।

(ख) ऐसा साईन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विज्ञापन।

(9) पालिका उचित समझेगी तो उक्त शुल्क की वसूली के लिए सार्वजनिक ठेका नीलाम कर सकेगी।